न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./13/2021/बाड़मेर

अपीलांट

1. पदमाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तुलछाराम पुत्र हिमथाराम
2.सवाईराम पुत्र हिमथाराम
3.उदाराम पुत्र हिमथाराम जातियान जाट निवासीयान गोदारों की ढाणी कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
4.श्रीमान तहसीलदार गिड़ा
5.शाखा प्रबन्धक महोदय JTGB सवाऊ पदमसिंह
6.शाखा प्रबन्धक महोदय RMGB सवाऊ पदमसिंह

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 174/2019 बअनवान तुलछाराम वगै. बनाम पदमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 व 02 ग्राम गोदारो की ढाणी तहसील गिड़ा के मूल निवासी है व उतरदातागण संख्या 01 व 02 व अपीलांट व उतरदाता संख्या 03 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का कानोड़ तहसील गिड़ा में खेत खसरा संख्या 531 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 532 रकबा 89.06 बीघा आई हुई है। उतरदातागण संख्या 01 व 02 का उपरोक्त आराजी में 1/4—1/4 हिस्सा पर कब्जा एवं काश्त है उतरदातागण संख्या 01 व 02 व अपीलांट व उतरदाता संख्या 03 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में उतरदाता संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, उतरदाता संख्या

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

02 का 1/4 हिस्सा व अपीलांट का 1/4 हिस्सा, उतरदाता संख्या 03 का 1/4 हिस्सा है। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा ताकत के बल पर छोटे–छोटे टुकड़ों में निर्माण कर कब्जा रने पर उतारू है तथा लगातार दखलअन्दाजी कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है इस तथ्य को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश किया गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देषित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित दिनांक 07.04.2021 को तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बायतु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार बायतु द्वारा मौके

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांट स्वयं मौके पर उपस्थित होते हुए भी हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद संख्या 175/2019 अनवान पदमाराम बनाम सवाईराम में अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि पक्षकारों के मध्य आवागमन हेतु शामलाती रास्ता विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय छोड़ा जावे जो उक्त विभाजन प्रस्ताव में छोड़ा गया है तथा अपने दावे में पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में स्वयं का कब्जा दो टुकड़ों में बताया है जबकि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 के सिद्धांतों में स्पष्ट प्रतिपादित है कि प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एकसाथ (Compact) होगा जो मातहत अदालत द्वारा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की है उस विभाजन प्रस्ताव को बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार बायतु स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 22.11.2021 को अंतिम डिक्री जारी की गई। इस विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द (दिनांक 07.04.2021) का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट स्वयं उपस्थित आया लेकिन हस्ताक्षर करने से मना किया। अपीलांट पदमाराम बार–बार आपति एवं सहमति का इजहार कर हर बार कोई नया विवाद पैदा कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की मंशा रखता है। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव भी तहसीलदार बायतु द्वारा भलीभांति निरीक्षण करने के पश्चात विभाजन प्रस्ताव में पक्के मकान/आवास तक को ध्यान में रखा जाकर तदनुसार भूमि की एक समान गुणवता एवं कब्जे काश्त के मद्देनजर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। अपीलांटगण के इस

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 174/2019 बअनवान तुलछाराम वगै. बनाम पदमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर